

20.9.95 - 20.9.95 - 21.9.95

22.9.95 - 22.9.95


व. अदालत कलेक्टर कार्यालय देवघर
नामांतरण वाद सं. 184/893-94

श्री कृष्ण कुमार सिंह - आवेदक

आदेश दिनांक 5.11.93 की प्रतिलिपि
1.3.94

5.11.93
1.3.94

आपलख आज उपस्थापित किया गया। सौ लह आना इमर
का नोटिस का नामिना प्राप्त। किली की लोखी
द्वारा आपति दारिखल गरी किया गया। हल का काम
का जोय प्रति वेदन प्राप्त। इनके प्रति वेदन के
अवलो कन से मालूम होना है कि विपयगत जमीन
वसोडी साप की है तथा ब्रह्म लय लीज है
मुक्त है। ह. कर्म ने नामांतरण की अनुशांला
की है जना केवाला, दरखल एवं ह. कर्म की अनुशांला
के आधार पर मौजा कोसागदी 1070 668/2 ही 070
न 0 8 इक्वा 0-1-10 थूर जमीन का नामांतरण
आवेदक श्री कृष्ण कुमार सिंह पिता श्री रामबहादुर
सिंह साठ विलाली राउत देवघर के नाम से करणे
की एकीकृती ही जाती है अनुशांलित लगाण



२.२४ के अलावा सैसा कसूल गीण होगा। कावेदंड
 २/३ (के) शक नामांतरण शुल्क जमा. कइ तत्पश्चात्
 शुद्धि पत्र निर्गत करे।

लिखत एवं शुद्ध डिजा

₹ ३६५६२
 १.३.९५
 अ० अ०

₹ ३६५६२
 १.३.९५
 अ० अ०

22-9-95
 निगम के अंतर्गत

22/9/95
 निगम के अंतर्गत

सचिवी प्रतिनिधि

किंजी प कुमार दुर्व

प्रधान सचिव 22-9-95

अंचल कार्यालय, बंगलूर
 इंडियन के अफिलियेटेड कंपनी धारा
 ४६ के अन्तर्गत अधिनियम